फर्द अहकाम

लाली देवी बनाम कालया

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 52/202।

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/2/24	पत्रावली पेश [illegible] अन्य कार्य म [illegible] कार्यवाही नहीं की [illegible] पेश हो। दिनांक 5/4/24
	05/4/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 14/5/24 को पेश हो। [signature]
	14/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 21/5/24 को पेश हो। पुनश्च : प्रकरण में तहसीलदार बस्सी से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई। वास्ते बहस कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 21/05/24 को पेश हो। [signature]
	21/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब बोर्ड [illegible] के कारण [illegible] पत्रावली दिनांक 1/7/24 को पेश हो।
	01/7/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को वादपत्र पर सुना गया। [signature]

फर्द अहकाम

लाली देवी बनाम काल्या

…लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

…/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 52/2021

…दिनांक आज्ञा …कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता को विभजन प्रस्ताव पर सुनने के उपरान्त हम पाते है कि तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभजन प्रस्ताव पर मौके पर प्रतिवादी पक्षकार उपस्थित रहे है एवं किसी पक्षकार द्वारा विभजन प्रस्ताव पर आपत्ति नही की गई है एवं विभजन प्रस्ताव विभजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बने है इसलिए न्यायहित मे तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभजन प्रस्ताव के अनुसार वादिया का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 25 रकबा 0.5690 हैक्टर स्थित ग्राम चारणवास प.ह. दूधली तह. बस्सी जि. जयपुर में से खसरा न. 25/1 रकबा 0.2845 हैक्टर कि भूमि खातेदार काल्या पुत्र धन्ना जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन युनियन बैंक आफ इंडिया बैंक शाखा बस्सी के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 25/2 रकबा 0.1626 हैक्टर कि भूमि खातेदार जयराम पुत्र मन्ना हिस्सा 79/271 राहिन SBI बस्सी लक्ष्मीनारायण पुत्र मन्ना हिस्सा 192/271 राहिन हिस्सा	

फर्द अहकाम

लाली देवी बनाम कल्या

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 52/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		79/271 SBI बैंक शाखा बस्सी के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 25/3 रकबा 0.0271 हैक्ट की भूमि खातेदार लाली देवी पत्नी दयाचन्द जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 25/4 रकबा 0.0316 हैक्ट की भूमी खातेदार रामूलाल पुत्र श्योनारायण हि. 1/2 श्योजीराम पुत्र श्योनारायण हि. 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 25/5 रकबा 0.0632 हैक्ट कि भूमि खातेदार मन्नी देवी पत्नी जयराम जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करें। प्रकरण मे फोत हुए पक्षकार के वारिसो की जांचकर उनके वारिसो के नाम नामान्तकरण खोलकर तदपश्चात अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन कुर्रेजात व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावें। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 01/07/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature)

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इकतरफा
(आे.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी,जयपुर ग्रामीण

वादी

1. लाली देवी पत्नि दयाचन्द जाति मीना निवासी ग्राम चारणवास तह. बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. काल्या पुत्र धन्ना
जाति मीना निवासी धूमराली ढाणी चांदवाडा तह. बस्सी जिला जयपुर।
2. जयराम पुत्र मन्ना
3. मन्नी देवी पत्नि जयराम
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चारणवास तह. बस्सी जिला जयपुर।
4. गिरधारीलाल पुत्र रामूलाल
5. हनुमान पुत्र रामूलाल
6. शांता देवी बेवा रामूलाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम चारणवास तह. बस्सी जिला जयपुर।
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना
जाति मीना निवासी धूमराली ढाणी चांदवाडा तह. बस्सी जिला जयपुर।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक बस्सी, तह. बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 52/21

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 25 रकबा 0.5690 है0, स्थित ग्राम चारणवास प0ह0 दूधली तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख0न0 25/1 रकबा 0.2845 है0 की भूमि खातेदार काल्या पुत्र धन्ना जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया बैक शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी। तथा ख0नं0 25/2 रकबा 0.1626 है0 की भूमि खातेदार जयराम पुत्र मन्ना हिस्सा 79/271 राहिन एस.बी.आई. बस्सी लक्ष्मीनारायण पुत्र मन्ना हिस्सा 192/271 राहिन हिस्सा 79/271 एस.बी.आई. बैक शाखा बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा ख0न0 25/3 रकबा 0.0271 है0 की भूमि खातेदार लाली देवी पत्नि दयाचन्द जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख0नं0 25/4 रकबा 0.0316 है0 की भूमि खातेदार रामूलाल पुत्र श्यानारायण हिस्सा 1/2 श्योजीराम पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से मे

हेगी तथा 25/5 रकबा 0.0632 हे0 की भूमि खातेदार मन्नी देवी पत्नि जयराम जाति मीना सा.देह खातेदार के हिस्से मे रहेगी।

उक्तानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। प्रकरण में फोत हुए पक्षकार के वारिसों की जांचकर उनके नामान्तकरण दर्ज कर तदपश्चात अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन कुर्रेजात व नक्शे तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावें।........निजी:................मुवलिक.........................बाबत ....

खर्चा...इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07.2024 को जारी किया गया।

दस्तखत सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

मुहर ...

मोहदा.......................................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण